कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बडवानी, (म.प्र.)

क्र. Q-1 /स्टेनो/2020 बडवानी दिनांक 25.03.2020

// परिपत्र //

विषयः कोविड–19 राष्ट्रव्यापी लाक डाउन के दौरान अकार्य दिवसो हेतू न्यायालयीन एवं प्रशासकीय कार्य व्यवस्था बाबत्।

संदर्भः– माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर का ज्ञापन कमांक क्यू–5 जबलपुर दिनाक 25.03.2020

............000..........

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र के पालन में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. दिनाक 26.03.2020 (गुरूवार) से दिनांक 14.04.2020 (मंगलवार) तक जिला न्यायालय,बडवानी एवं तहसील न्यायालय सेंधवा,अंजड,राजपुर व खेतिया में कोई भी न्यायालयीन कार्य नही होगा एवं न्यायालय बंद रहेगे।

2 उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त न्यायालय परिसरो में सामान्य प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा जब तक कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी से अनुमति प्राप्त न कर ली गयी हो। इस बाबत् अभिभाषको,पक्षकारो द्वारा अनुमति हेतू आवेदन/निवेदन ई मेल आई **dcourtbarwani@gmail.com** पर सक. ारण दिया जाकर अनुमति प्राप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. उक्तानुसार ई मेल आई डी पर प्राप्त होने वाले ई मेल को प्रशासनिक अधिकारी एवं सिस्टम आफिसर द्वारा अविलंब अग्रिम कार्यवाही किया जाना व प्रेषक को किये जाने वाले निर्धारण की सूचना ई मेल/उपलब्ध करवाए गये मोबाईल नंबर पर दी जाना सुनिश्चित करेगे।

4. उक्त अवधि में जिनके द्वारा अनुमति प्राप्त की गयी है उसकी सूची जिला न्यायालय भवन,बडवानी के काउंटर फाईलिंग सेंटर पर उपस्थित कर्मचारी के पास व तहसील न्यायालय परिसर सेंधवा,अंजड,राजपुर व खेतियो में न्यायालय परिसर मे ड्यूटी पर उपलब्ध कर्मचारी के पास रहेगी।

5. उक्त अवधि मे केवल अत्यावश्यक प्रकृति के मामलो की सुनवाई को छोडकर शेष मामलो में बिना जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बडवानी की अनुमति के सुनवाई नही की जाएगी।

6. अत्यावश्यक व अनुमति प्राप्त मामलो की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बडवानी द्वारा निश्चित किये गये समय एवं स्थान पर नामित न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाएगी और तत्समय आवश्यक मामलो से संबंधित अभिभाषक , पक्ष मात्र उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकेगे इस संबंध में निश्चित की गयी व्यवस्था की सूची **अनुलग्न–ए** के रूप में सलंग्न है।

7. विभिन्न आरक्षी केन्द्रो से रिमांड कार्यवाही/जमानत आवेदन पत्रो मे केस डायरी लेकर आये सक्षम पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय के आदेशो के अनुपालन में आने वाले पुलिस अधिकारी को ही जिले के संबंधित न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

8. जिले के सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण अपने अपने मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेगे एवं अपने मोबाईल फोन निरंतर चालू रखे तथा सूचित किये जाने पर तत्काल आदेशानुसार दायित्वो के निर्वहन हेतू तत्पर रहे।

9. माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय,भारत सरकार एवं म.प्र.शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये परिपत्रो/ज्ञापन एव गाईड लाईन का सख्ती से पालन किया जावे।

10. जिला मुख्यालय,बडवानी के न्यायालयो में दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति में नियत प्रकरणो की आगामी तिथी पूर्व में ही सूचित की जा चूकी है। दिनांक 01.04.2020 से दिनाक 14.04.2020 तक नियत प्रकरणो की आगामी तिथीयो की सूची **अनुलग्न–बी** के अनुसार है।

संलग्नःउक्तानुसार अनुलग्न–ए,बी

(रामेश्वर कोठे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बडवानी,म0प्र0

प्रतिलिपीः

1. रजिस्ट्रार जनरल,म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ,
2. प्रेंसिपल रजिस्ट्रार,म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ इदौर की ओर सूचनार्थ,
3. अध्यक्ष,अधिवक्ता संघ,बडवानी/सेंधवा/अंजड/राजपुर/खेतिया को सूचनार्थ,
4. समस्त न्यायिक अधिकारीगण को सदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ,
5. प्रभारी अधिकारी/सिस्टम आफिसर,जिला न्यायालय बडवानी की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई मेल के माध्यम से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतू,
6. जिला कलेक्टर,बडवानी की ओर सूचनार्थ,

7. पुलिस अधीक्षक,बडवानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे जिले के समस्त थाना प्रभारीयो को निर्देशित करे कि वे निर्धारित समय मे ही केस डायरी,रिमांड आदि प्रस्तूत करे,

8. प्रशासनिक अधिकारी,जिला एवं सत्र न्यायालय,बडवानी की ओर इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर समस्त कर्मचारीयो को सूचित करना सुनिश्चित करे,

9. जिला नाजिर / नायब नाजिर बडवानी को इस निर्देश के साथ कि वे एक-एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के सहजदृश्य भाग पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करे,

10. प्रभारी अधिकारी,नजारत अनुभाग सेंधवा / राजपुर / अंजड / खेतिया जिला बडवानी को आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित,

11. जनसंपर्क अधिकारी,बडवानी को सभी दैनिक समाचार पत्रो मे उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित करवाने की अपेक्षा सहित।

12. स्टेनो,जिला एवं सत्र न्यायालय,बडवानी को नस्ती हेतू।

बडवानी दिनांक 25.03.2020

(रामेश्वर कोठे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बडवानी,म0प्र0